



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

e-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in



पत्रांक 246

दिनांक 31/01/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय :-

चतरा जिला अन्तर्गत हरहद से बभने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सिटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल-0.3889 हे0 (चतरा उत्तरी वन प्रमंडल-0.1082 हे0 एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल-0.2807 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 301 दिनांक 09.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव पर 06 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। सभी पृच्छाओं का निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन एवं संशोधित प्रस्ताव 7 मूल प्रति में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है :-

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 स्केल के टोप्यो मैप में टोप्यो मैप संख्या अंकित नहीं है। टोप्यो मैप की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न किया जाय।	1:50000 स्केल के टोप्यो मैप में टोप्यो मैप संख्या अंकित करते हुए उसकी हस्ताक्षरित मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है। (अनु0-03)
2	प्रस्ताव के साथ संशोधित मैनुअल फार्म A Part-I की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न नहीं है।	मैनुअल फार्म-A Part-I की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है। (06)
3	प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में जंगल झाड़ी का रकवा-0.0833 हे0 तथा वन भूमि का रकवा 0.20102 हे0 है। किस आधार पर Part-I & II में जंगल झाड़ी का रकवा-0.07802 हे0 तथा वन भूमि का रकवा 0.20268 हे0 किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट करे।	भूमि विवरणी में जंगल झाड़ी का रकवा-0.20268 हे0 एवं वन भूमि का रकवा 0.07802 हे0 है एवं वही रकवा Part-I & II में भी वनभूमि तथा जंगल-झाड़ी में दर्शाया गया है।
4	प्रस्ताव के साथ हस्ताक्षरित ऑन-लाईन Part-II संलग्न नहीं है।	इस पृच्छा का निराकरण हेतु ऑन-लाईन Part-II की संशोधित हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। वर्तमान में परिवेश पोर्टल में Add/Edit/form-B में यह प्रस्ताव दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण Part-II में संशोधन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कि Part-II में उक्त त्रुटि को सुधार करने की कृपा की जाय।

5	<p>प्रस्ताव में संलग्न Part-II के कंडिका 12 (iii) में Total Forest Area diversion since 1980 with number of cases में 24 एवं रकवा 1575.5 हे० अंकित है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। अतः इसमें प्रमंडलीय स्तर पर जाँच कर Number of cases एवं रकवा में संशोधन की आवश्यकता है</p>	<p>वर्तमान में Total Forest Area diversion since 1980 is 2794.19 ha. with number of cases 29 है।</p> <p>इस पृच्छा के निराकरण हेतु ऑन-लाईन Part-II के कंडिका 12 (iii) में संशोधन किया जाना है, परन्तु परिवेश पोर्टल में Add/Edit/form-B यह प्रस्ताव दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण Part-II में संशोधन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कि Part-II में उक्त त्रुटि को सुधार करने की कृपा की जाय।</p>
6	<p>प्रस्ताव में संलग्न Part-II के कंडिका 12 (iv) में Total compensatory afforestation stipulated in the division since 1980 on forest land include penal compensatory afforestation 1930.9 हे० रकवा अंकित है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। अतः इसमें प्रमंडलीय स्तर पर जाँच कर रकवा में संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही Progress of compensatory afforestation as on forest land 1761.65 हे० है, शेष 169.25 हे० वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण का कार्य किस कारण से अबतक नहीं कराया गया है। विस्तृत विवरणी के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान में Total compensatory afforestation stipulated in the division since 1980 on forest land include penal compensatory afforestation 5475.33 हे० है। साथ ही Progress of compensatory afforestation as on forest land 3880.6 हे० है। • शेष बचे 1594.73 हे० पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कार्रवाई की जा रही है। <p>साथ ही सूचित करना है कि इस पृच्छा का निराकरण हेतु ऑन-लाईन Part-II के कंडिका 12 (iv) में संशोधित किया जाना है, परन्तु परिवेश पोर्टल में Add/Edit/form-B यह प्रस्ताव दिखाई नहीं दे रहा है। अनुरोध है कि Part-II में उक्त त्रुटि को सुधार करने की कृपा की जाय।</p>

अनु० यथोक्त।

आपका विश्वासी,



वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

30/01/2026

